भास्कर ए. सावंत, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर–302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्काम्स/प्रावै.सहा./एफ. प्रे. 429 दिनांक: 25.12.2021

आदेश

विषय :– कृषि उपभोक्ताओं के सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के संदर्भ में।

सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश क्रमांक जेपीआर 5–1045 दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी किये गये थे। इस आदेश के अनुसार सतर्कता जांच प्रतिवेदन से असन्तुष्ट उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी कम हो एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, परन्तु कनेक्शन पुर्नस्थापित करने के लिये वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत जमा कराना आवश्यक है।

इसी क्रम में कृषि उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरण में यदि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो उसका विद्युत सम्बन्ध पुर्नस्थापित (RC) कर दिया जावेगा तथा प्रकरण राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति में ले लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि कृषि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो सतर्कता जांच प्रतिवेदन सहायक अभियन्ता स्तर पर ही पूर्ण निस्तारित माना जायेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्काम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्काम्स

Tel. : +91-141-2740118 (O) • Fax : +91-141-2744187 • e-mail : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner